

बिहार सरकार  
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 155788 /

पटना, दिनांक 16/07/13

सं0सं0- ग्रा0वि0-4/सी0ए03-04/2012(खण्ड-1)

प्रेषक,

मनोज कुमार,  
विशेष कार्य पदाधिकारी ।

सेवा में,

श्री चन्द्रभूषण (उप निदेशक),  
योजना एवं विकास विभाग,  
बिहार, पटना ।


विषय:- जिलों को विमुक्त राशि के व्यय एवं उपयोगिता का लेखा परीक्षा जिला स्तर पर कराए जाने हेतु प्रतिनियुक्त चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट का निर्धारित दर उपलब्ध कराने के संबंध में ।

प्रसंग:- योजना एवं विकास विभाग, बिहार सरकार का पत्रांक- 2761 दिनांक- 05 जुलाई, 2013

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग के संदर्भ में ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार द्वारा व्यय एवं उपयोगिता का लेखा परीक्षा कराए जाने हेतु जिला स्तर पर प्रतिनियुक्त चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट का निर्धारित दर की सूची उपलब्ध कराई जा रही है । विदित है कि इस निर्धारित दर का अनुमोदन माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग से प्राप्त की जा चुकी है ।

विश्वासभाजन

  
15/07/13  
(मनोज कुमार)

विशेष कार्य पदाधिकारी ।

**बिहार सरकार**  
**ग्रामीण विकास विभाग**

दिनांक 08.11.2012 को श्री कृष्ण मोहन, विशेष सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में वित्तीय वर्ष 2012-13 में जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों में कार्यान्वित योजनओं/ कार्यक्रमों के अंकेक्षण हेतु दर का निर्धारण हेतु बैठक की कार्यवाही:-

**समिति के सदस्य**

- (क) श्री कृष्ण मोहन, विशेष सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना- अध्यक्ष  
(ख) श्रीमती सुजाता चलाना, उप सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना- सदस्य  
(ग) श्री मुकेश कुमार सिन्हा, विशेष कार्य पदाधिकारी, ग्रा0वि0वि0, बिहार, पटना- सदस्य

विभागीय जापांक 2624 दिनांक 23.03.07 द्वारा निर्गत पूर्व के दरों पर चर्चा की गई। पूर्व के वर्षों में दर का निर्धारण पंचायत, प्रखंड, जिलावार एवं योजनावार किया गया था। अंकेक्षण कार्य की गुणवत्ता, कम दर रहने से प्रभावित होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। वर्ष 2007 से मंहगाई भत्ता में 72% की वृद्धि हुई है एवं वर्ष जनवरी 2013 तक अनुमानित 8% यानि कुल 80% मंहगाई भत्ता की वृद्धि को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा वर्ष 2012-13 के लिए 80% की वृद्धि दर से निम्नांकित प्रस्ताव है -

**A) पंचायत स्तर**

क्रम सं०	योजना का नाम	वर्ष 2006-07 में दर	पुनरीक्षित दर (80% वृद्धि)
1	मनरेगा	280	504
2	अन्य योजना (प्रतियोजना)	140	252

**B) प्रखंड स्तर**


क्रम सं०	योजना का नाम	वर्ष 2006-07 में दर	पुनरीक्षित दर (80% वृद्धि)
1	मनरेगा	1140	2052
2	इंदिरा आवास योजना	350	630
3	सामाजिक वानिकी	260	468
4	SGSY/NRLM	260	468
5	अन्य योजना (प्रति योजना)	260	468





## जिला स्तर

क्रमांक	योजना का नाम	श्रेणी (A)		श्रेणी (B)		श्रेणी (C)		श्रेणी (D)	
		पूर्व दर	पुनरीक्षित दर	पूर्व दर	पुनरीक्षित दर	पूर्व दर	पुनरीक्षित दर	पूर्व दर	पुनरीक्षित दर
1	मनरेगा	2010	3618	2450	4409	2890	5202	3325	5985
2	इंदिरा आवास योजना	700	1260	875	1574	1050	1890	1225	2205
3	सा0 बा0 की योजनाएँ	1050	1890	1225	2205	1400	2519	1575	2835
4	SGSY/NRLM	3150	5670	3675	6614	4200	7559	4725	8504
5	अन्य योजनाएँ (प्रति योजना)	440	791	525	945	610	1098	700	1260
6	बैंक से लेखा का रीकॉन्सीली श्मेशन	5250	9449	6000	9449	5250	9449	5250	9449

सर्वसम्मति से समिति उक्त प्रस्ताव की अनुशंसा करती है।

  
मुकेश कुमार सिन्हा  
विशेष कार्य पदाधिकारी।

  
सुजाता चेलाना  
उप सचिव।

  
श्री कृष्ण मोहन  
विशेष सचिव।

